न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही (राजस्थान)
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्याः 28/2021

प्रार्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आबूरोड़ (वर्तमान में तहसीलदार, देलदर)

बनाम

अप्रार्थी

(1)गोपालसिंह पुत्र हिम्मतसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–देलवाडा, तह. देलदर, जिला–सिरोही
(2) सोनीबाई पत्नी हिम्मतसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–देलवाडा, तह. देलदर, जिला–सिरोही
(3) हेमन्तसिंह पुत्र हिम्मतसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–देलवाडा, तह. देलदर, जिला–सिरोही

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. पेरोकार सरकार, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री दलपत राज परमार, प्रार्थी की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 02 सितम्बर, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 में पारित निर्णय दिनांक 02.8.2004 की पालना में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत **अप्रार्थीगण** के विरुद्ध प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि ग्राम गोवागांव, पटवार हल्का देलवाडा, वर्तमान तहसील– देलदर के खसरा संख्या 46 रकबा 0.02 बीघा किस्म चाही दोयम भू प्रबन्ध खतौनी जमाबन्दी संवत 2029 के अनुसार किस्म भूमि चाही दोयम दर्ज है। उक्त भूमि जमाबंदी महकमा बंदोबस्त भू प्रबन्ध संवत 2001 तक में राजस्थान सरकार के नाम पर दर्ज होकर भूमि की किस्म नाला दर्ज थी। उक्त भूमि जमाबंदी खतौनी संवत 2076 में खातेदार गोपालसिंह पुत्र हिम्मतसिंह, सोनीबाई पत्नी हिम्मतसिंह व हेमन्तसिंह पुत्र हिम्मतसिंह की खातेदारी खाता संख्या 22 में दर्ज है। उक्त भूमि भू प्रबन्ध संवत 2029 से ही खातेदार के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज है। यह कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अर्न्तगत राजस्व रेकर्ड में दर्ज झील, तालाब आदि जलाशयों/जलग्रहण क्षेत्र की भूमि पर खातेदारी अधिकार उत्पन्न नही हो सकते है अर्थात् पूर्णतया प्रतिबंधित है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 में यह आदेश पारित किया गया है कि "All Land shown drainage like nalla, riveres, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Govt. land & any conversion made after 15-8-1947 should be declared illegal." उक्त जलग्रहण क्षेत्र की भूमि का विधि विरुद्ध Conversion हुआ है। अतः उक्त भूमि की राजस्व रेकर्ड में पूर्ववर्ती स्थिति किस्म गै.मु. नाला बहाल कराने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर को रेफर किया जावे।

(2) प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर **अप्रार्थीगण** को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दलपत राज परमार उपस्थित हुये एवं अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रश्नगत भूमि जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि है जिसका आवंटन/नियमन अथवा किसी भी रुप में संपरिवर्तन नहीं किया जा सकता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

...पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:14:14 IST
Reason: SelfAttested

की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अर्न्तगत राजस्व रेकर्ड में दर्ज झील, नदी, नाला, नाली, तालाब आदि जलाशयों की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होते है। प्रश्नगत भूमि महकमा बन्दोबस्त खतौनी संवत 2001 तक राजस्थान सरकार के खाते में जलग्रहण क्षेत्र की भूमि किस्म नाली दर्ज थी, जो भू प्रबन्ध संवत 2029 से ही खातेदार के नाम दर्ज है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.8.2004 के द्वारा जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि की राजस्व रेकर्ड में दिनांक 15.8.1947 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश पारित किये गये है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी. सिवलि रिट याचिका संख्याः 11153/2011 सुओ मोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 29.5.2012 में भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि का आवंटन/नियमन विधि विरुद्ध माना है एवं ऐसी भूमियों पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है। अतः प्रश्नगत भूमि की राजस्व रेकर्ड में दर्ज पूर्ववर्ती स्थिति बहाल करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर को रेफर किया जावे। जबकि अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि वादग्रस्त भूमि की किस्म मौके पर नाला कभी भी नही रही है, उक्त भूमि का उपयोग कृषि हेतु गत कई वर्षो से हो रहा है। उक्त भूमि जलग्रहणव/जलबहाव क्षेत्र की भूमि नही है। राजस्व रेकर्ड में भूमि की पूर्व में गलत रुप से किस्म नाला दर्ज की थी, जिसमें बाद में सुधार कर किस्म परिवर्तन किया है। वादग्रस्त भूमि काश्त योग्य है जिसे अप्रार्थीगण ने काफी रकम खर्च कर उपजाउ बनाया है। अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी हिम्मतसिंहजी के नाम से उक्त भूमि नियमानुसार आवंटन/नियमन होकर खातेदारी में दर्ज की गई थी, जिसमें किसी प्रकार से कोई अनियमितता नही हुई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

(4) हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.8.2004 की पालना में वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अंकित निम्न कृषि भूमि की राजस्व रेकर्ड में पूर्ववर्ती स्थिति बहाल करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया है:–

नाम ग्राम, पटवार हल्का व तहसील	जमाबंदी संवत	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा हेक्टेयर में	किस्म भूमि
ग्राम गोवागांव, पटवार हल्का देलवाडा तहसील–देलदर	2076	22	46	0.0253	चाही 2

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत संबंधित राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी महकमा बन्दोबस्त भू प्रबन्ध संवत 2001 में प्रश्नगत भूमि की किस्म नाली दर्ज थी, जो भू प्रबन्ध संवत 2029 से ही खातेदार के नाम से खातेदारी दर्ज कर दी गई है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 02.8.2004 में यह अभिमत व्यक्त किया है कि:–

"All Land shown drainage like nalla, riveres, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Govt. land & any conversion made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevent act & rules must be amended accordingly.

----In the Government Owned Lakes and other bodies, the khatedari right of private person in there submergence area should be brought under the ownership of the government.

....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:14:14 IST
Reason: SelfAttested

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्याः 28/2021

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11153/2011 सुओमोटा बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 29.5.2012 में भी जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि की पुर्ववर्ती स्थिति बहाल करने के निर्देश दिये है।

चूंकि विचारणीय प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अनुसार यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि पूर्व में राजस्व रेकर्ड में जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि दर्ज थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अर्न्तगत राजस्व रेकर्ड में दर्ज झील, तालाब, नाडी, नदी, नाला आदि जलग्रहण/जलबहाव क्षेत्र की भूमि का आवंटन एवं नियमन नही हो सकता है तथा ऐसी भूमियों पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होते है। ऐसी स्थिति में, प्रश्नगत भूमि की राजस्व रेकर्ड में पूर्ववर्ती स्थिति बहाल करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफर किया जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही, उभय पक्षकारान को यह भी निर्देशित किया जाना समीचीन होगा कि प्रकरण में माननीय राजस्व मण्ड़ल राजस्थान, अजमेर द्वारा आगामी आदेश जारी किये जाने तक प्रश्नगत भूमि के भू अभिलेख एवं मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नही होने दे एवं न ही करे।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी अर्न्तगत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारवान होने एवं भलीभांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी भूमि की वर्तमान जमाबन्दी में अंकित स्थिति ग्राम गोवागांव, पटवार हल्का देलवाडा, तहसील—देलदर, जिला— सिरोही के खसरा संख्या 46 रकबा 0.0253 हेक्टेयर किस्म चाही 2 के स्थान पर भू अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज अप्रार्थीगण की प्रविष्ठियां विलोपित करते हुए प्रश्नगत भूमि जमाबन्दी महकमा बन्दोबस्त संवत 2001 के अनुरुप राजकीय बिलानाम किस्म नाली दर्ज करवाने हेतु अभिशंषा सहित प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को मूल पत्रावली निर्णय की अतिरिक्त प्रमाणित प्रति सहित प्रेषित की जावे। उभय पक्षकारान प्रश्नगत आराजी के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा आगामी आदेश जारी किये जाने तक भू अभिलेख एवं मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नही करे तथा न ही रहन, बेचान, हस्तान्तरण आदि करे। साथ ही, निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार, देलदर को प्रश्नगत आराजी वर्तमान भू अभिलेख में रहन, बेचान, हस्तान्तरण आदि नही करने के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आगामी आदेश तक नोट अंकित करने हेतु प्रेषित की जावे।

पक्षकारान वास्ते सुनवाई माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में आयन्दा दिनांक 14.11.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 02 सितम्बर, 2024 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Rai Sapela
Date: 2025.06.26 17:14:14 IST
Reason: SelfAttested